जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

(राजस्व शाखा)

(E-mail ID- adcchaibasa@gmail.com)

पत्रांक........................../रा०

प्रेषक,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी
–सह–अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

दिनांक...........................

विषय– सदर चाईबासा प्रखण्ड के ग्राम लुपुनगुटु के जन वितरण प्रणाली दुकानदार श्री चन्द्रमोहन तापेय द्वारा कार्डधारियों को खाद्यान्न नहीं वितरण करने से संबंधित परिवाद की सुनवाई से संबंधित आदेश का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सदर चाईबासा प्रखण्ड के ग्राम लुपुनगुटु के जन वितरण प्रणाली दुकानदार श्री चन्द्रमोहन तापेय द्वारा कार्डधारियों को खाद्यान्न नहीं वितरण करने से संबंधित परिवाद की सुनवाई कर आदेश पारित किया गया है।

अतः पारित आदेश की प्रति अनुपालन हेतु पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन

ह०/-

अनुलग्नक – यथोक्त।

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी
–सह–अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक 1320 (B) /रा० दिनांक 04.10.19

प्रतिलिपि :– प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सदर चाईबासा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

04/10/19

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी
–सह–अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

[2]

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी–सह–अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

(राजस्व शाखा)

आदेश

सदर चाईबासा अंचलान्तर्गत, ग्राम– लुपुंगुटु, टोला– पताहातु के राशन कार्डधारियों के द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानदार श्री चन्द्रमोहन तापेय अनुज्ञप्ति संख्या– 02/96 के द्वारा खाद्यान्न आपूर्ति नहीं करने के संबंध में प्राप्त शिकायत पत्र के आलोक में कार्यालय पत्रांक 1157(बी)/रा० दिनांक 28.08.2019 के द्वारा दिनांक 06.09.2019 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 15(5) के तहत् सुनवाई हेतु नोटिस निर्गत किया गया। अपरिहार्य कारणों से पूर्व निर्धारित तिथि को सुनवाई नहीं होने के कारण पुनः कार्यालय पत्रांक 1215(बी)/रा० दिनांक 08.09.2019 के द्वारा दिनांक 20.09.2019 को सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गई। सुनवाई के दौरान उपस्थिति निम्नवत् रही –

1. जोगेन्द्र देवगम, ग्राम– लुपुंगुटु, प्रखण्ड– सदर चाईबासा।
2. जोन सुन्डी, ग्राम– लुपुंगुटु, प्रखण्ड– सदर चाईबासा।
3. मंगता देवगम, ग्राम– लुपुंगुटु, प्रखण्ड– सदर चाईबासा।
4. बुधन सिंह देवगम, ग्राम– लुपुंगुटु, प्रखण्ड– सदर चाईबासा।
5. सुमित्रा सुन्डी, ग्राम– लुपुंगुटु, प्रखण्ड– सदर चाईबासा।
6. प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सदर चाईबासा एव
7. अन्य कार्डधारी

सुनवाई के दौरान उपस्थित सभी पक्षों को सुना गया। उपस्थित कार्डधारियों के राशन कार्ड का अवलोकन किया गया। श्री जोगेन्द्र देवगम अपनी पत्नी लिदरी देवगम का कार्ड (PH) दिखाया जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सितम्बर 2018 से इंट्री नहीं है अर्थात सितम्बर से खाद्यान्न नहीं मिला है। श्री देवगम द्वारा भी कहा गया कि उन्हे सितम्बर 2018 से खाद्यान्न नहीं मिला है।

श्री बुधन सिंह देवगम द्वारा रूकमनी देवगम का कार्ड दिखाया जो उनकी पत्नी है। यह कार्ड AAY है। कार्ड में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार अक्टुबर 18 से जनवरी 2019 तक राशन नहीं मिला है। फरवरी 2019 एव मार्च 2019 में मिला है, लेकिन उसके बाद खाद्यान्न नहीं मिला है।

मंगता देवगम को PH कार्ड मिला है। इन्हे सितम्बर 2018 से अबतक का खाद्यान्न नहीं दिया गया है। मंगता देवगम का कहना है कि डीलर कहता है कि हमलोग रजिस्टर से खाद्यान्न लिए है। अतः हमलोगों का आवंटन नहीं आया है।

सुमित्रा सुण्डी को AAY कार्ड है। इन्हे दिसम्बर 2018 और अप्रैल 2019 को एव अगस्त 2019 को राशन नहीं मिला है। सुमित्रा सुण्डी का कहना हे कि डीलर प्रत्येक माह मात्र 01 (एक) दिन लाल कार्ड और 01 (एक) दिन AAY कार्डधारियों को राशन देता है उसके बाद आने पर कहता है कि आपका खाद्यान्न जिला वापस चला गया है।

जॉन सुण्डी अपना कार्ड लेकर नहीं आए। सितम्बर 2018 से लगातार खाद्यान्न नहीं मिला है।

मोरा सुण्डी (PH) के नाम से निर्गत कार्ड उनका भतीजा लेकर आया। उनका आधा कार्ड जला हुआ है। सितम्बर 2018 से राशन नहीं मिला है। मोरा सुन्डी के भतीजा द्वारा बताया गया कि यह व्यक्ति वृद्ध है और इनके परिवार में कोई नही है। अतः उपस्थित M.O.–सह–अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा को आदेश दिया गया कि जॉचोपरांत उन्हे भुख निवारण कोष से तत्काल राशन उपलब्ध कराए।

गोरा देवगम (आठ वर्ष) के नाम से AAY कार्ड निर्गत है। गोरा देवगम की माँ सरोज देवगम उपस्थित। उनके द्वारा बताया गया कि सितम्बर 2018 से खाद्यान्न नहीं मिला है। कार्ड में भी सितम्बर 2018 से खाद्यान्न वितरण का प्रविष्टि नही हुआ है।

गोरा देवगम (अन्य व्यक्ति) द्वारा अपनी पत्नी वसन्ती देवगम के नाम से निर्गत AAY कार्ड दिखाया। सितम्बर 2018 से खाद्यान्न नहीं मिला है। कार्ड में भी प्रविष्टि नहीं है। उनका कहना था कि डीलर कहता है कि उनका कार्ड सूची से Delete हो गया है।

रेंसो देवगम (PH कार्ड)। सितम्बर 2018 से खाद्यान्न नहीं मिला है। डीलर का कहना है कि सूची मे नाम नहीं है।

जानो देवगम द्वारा अपनी माँ जोबना देवगम के नाम से निर्गत कार्ड दिखाया (PH)। कार्ड के अनुसार सितम्बर और अक्टुबर 2018 को फरवरी 2019 से मार्च 2019, जून एव जुलाई 2019 में खाद्यान्न नही मिला लेकिन कार्ड में मार्च एव जुलाई 2019 को भी प्रविष्टि कर दिया है।

गोरा देवगम द्वारा शुरू जोजो (PH कार्ड) को निर्गत कार्ड दिखाया जो उसकी मौसी है। वह बताया कि वह वृद्ध हो गयी है। शुरू जोजो को अक्टुबर 2018 से खाद्यान्न नहीं मिला है। चुकी शुरू जोजो वृद्ध हो गयी है अतः तत्काल भूख निवारण कोष से खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निदेश M.O–सह–अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा को दिया गया।

दुर्गा देवगम (PH कार्ड) को सितम्बर 2018 से खाद्यान्न नहीं मिला है। उनका कहना था कि डीलर द्वारा ई–पोस में अगुली का निशान लेने के बाद भी उन्हे खाद्यान्न नहीं दिया।

सुमी पुरती द्वारा अपने पति को निर्गत (PH) कार्ड दिखाया। कार्ड में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार दिसम्बर 2018, जनवरी 2019 से अप्रैल और जुलाई 2019 को खाद्यान्न नहीं मिला है। अनिता सुण्डी (PH) सितम्बर 2018 से खाद्यान्न नही मिला है।

गुमी देवगम द्वारा अपने माँ मुनी देवगम को निर्गत (PH) कार्ड दिखाया। सितम्बर 2018 से खाद्यान्न नहीं मिला है।

रोशनी दासब्या द्वारा अपनी माँ मुनि दासब्या को निर्गत कार्ड दिखाया। सितम्बर 2018 से राशन नहीं मिला है।

लालमुनी देवगम (AAY) सितम्बर 2018 से राशन नहीं मिला है। उनका कहना है कि डीलर कहता है कि मशीन में इट्री नहीं हो रहा है अतः खाद्यान्न नहीं मिलेगा।

सोमवारी देवगम (AAY) सितम्बर 2018 से राशन नही मिला है। डीलर का कहना है कि सूची में नाम नही है।

डीलर का पक्ष जानने के लिए उन्हे पुकारा गया। लेकिन वे अनुपस्थित पाए गए। उपस्थित कार्डधारियों का कहना थ कि जनवितरण प्रणाली दुकानदार श्री चन्द्र मोहन तापेय आया है। M.O–सह–अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा द्वारा भी उनके मोबाईल पर सम्पर्क करने का प्रसास किया गया लेकिन वह अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

दिनांक 20.09.2019 को अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में हुई सुनवाई के दौरान कार्डधारियों द्वारा दी गयी जानकारी से स्पष्ट होता है कि अधिकतर कार्डधारियों को सितम्बर 2018 से राशन नही मिला है। कुछ–कुछ कार्डधारी को बीच में मिला है और फिर नहीं मिला है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक माह डीलर मात्र 02 से 03 दिन ही राशन वितरण करता है। उसके द्वारा निर्धारित तिथि को यदि कोई कार्डधारी उपस्थित नही होता है तो उन्हे उस माह का राशन नही देता है। सूची में नाम होते हुए भी यह कह कर राशन नहीं देता है कि उनका नाम सूची में नहीं है। राशन डीलर श्री चन्द्र मोहन तापेय का यह आचरण कार्डधारियों को राशन से बंचित करना है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन है। डीलर का पक्ष जानने के लिए उन्हे भी नोटिस किया गया था लेकिन नोटिस प्राप्ति के बावजूद वह सुनवाई के दौरान उपस्थित नही हुआ जो उसके स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है। अतः जन वितरण दुकानदार श्री चन्द्र मोहन तापेय को निर्गत अनुज्ञप्ति को रदद करने का आदेश दिया जाता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी इस डीलर से संबद्ध वैसे सभी कार्डधारियों जिन्हे माह सितम्बर 2018 से राशन प्राप्त नही हुआ है उसका जाँच कर आदेश निर्गत की तिथि से 03 माह के अन्दर बकाया राशन का वितरण सुनिश्चित करेंगे। अगर 03 माह के अन्दर राशन का वितरण करने में विफल रहते है तो खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम 2015 के बिन्दु 06 के अनुसार भत्ता का आकलन कर भत्ता उपलब्ध कराएगें। अंचल अधिकारी–सह–प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सदर चाईबासा को आदेश दिया जाता है कि मोरा सुण्डी एवं गोरा देवगम जो वृद्ध व्यक्ति है एव अकेले रहते है। भूख निवारण कोष से उन्हे तुरन्त खाद्यान्न उपलब्ध करा कर अद्योरताक्षरी को सूचित करेंगें।

आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अंचल अधिकारी–सह–प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सदर चाईबासा एव जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को भेंजे। साथ ही आदेश की प्रति सूचनार्थ उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा एवं झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची को भी दें।

लेखापित एवं संशोधित

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
–सह–अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी
–सह–अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा